Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 228/2023

Fagu Oraon*.....*Appellant

Versus

Most. Jhumari Devi & Ors*.....*Respondents

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	04-10-2024	**—:आदेश:—** प्रस्तुत अपील न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा B.L.D.R वाद सं0— 152/2022—23 में दिनांक—30.9.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अंचल— हसनगंज, थाना सं0— 8, मौजा— जगरनाथपुर, खाता स0— 213, खेसरा सं0— 1876, रकवा— 1 एकड़ (1.30 एकड़ में से) विवादित भूमि है। उक्त भूमि अपीलार्थी के नानी (मसो0 इतवरिया देवी) को भू—दान प्रमाण—पत्र से प्राप्त है, जिसपर ये दखलकार रही है। मसो0 इतवरिया देवी अपने पीछे दो पुत्री पालो देवी एवं वाधों देवी को छोड़कर गुजर गई। अपीलार्थी पालो देवी के पुत्र है एवं नन्द लाल उरॉव, वादो देवी के पुत्र है। फागू उरॉव और नन्दलाल उरॉव ने पंचनामा बॅटवारा द्वारा उनकी सम्पति को विभाजित कर लिया। फागो उरॉव के हिस्से में प्राप्त भूमि पर वे दखलकार है एवं भू—लगान भुगतान कर रह है। उत्तरवादी ने वर्श 2022 में इनकी भूमि को बलपूर्वक जोत लिया और इन्हें बेदखल कर दिया। इसके विरूद्ध अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार के समक्ष Cr.PC की धारा—144 के अंतर्गत वाद सं0— 173M/2022 दायर किया गया जिसमें कोई परिणाम नही आने के फलस्वरूप इन्हें निम्न न्यायालय में उक्त वाद दायर करना पड़ा। उत्तरवादियों द्वारा निम्न न्यायालय में B.T. Act के अंतर्गत वाद सं0— 7/2022—23 एवं 10/2022—23 दायर किया गया है, जो विचारण हेतु लंबित है। निम्न न्यायालय ने बॅटाईदारी वादों के लंबित रहने के कारण उसमें अंतिम न्याय निर्णय होने तक वाद सं0—152/2022—23 की कार्रवाई को उपशमित (Abated) कर दिया, जो सही नही है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। प्रश्नगत भूमि पर फागो उरॉव दखलकार रहते हुए भू—लगान का भुगतान करते आ रहे है। उत्तरवादी ने बलपूर्वक इन्हें बेदखल कर दिया है। उक्त बॅटाईदारी वाद में अपीलार्थी पक्षकार नही हैं एवं इसकी भूमि सन्निहित नही हैं। अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय में प्रश्नगत भूमि पर दखल दिलाने का अनुरोध किया गया था, जो विचारणीय था। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत	

Web copy. Not Official.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	लगातार 04-10-2024	अपील कालबाधित होने एवं तथ्यों के आधार पर पोशणीय नही है। विवादित क्रमशः भूमि देवनाथ ठाकुर व विशेशर झा के नाम खतियान दर्ज है। उक्त भूमि पर उत्तरवादीगण लंबे समय से बॅटाईदार के रूप में शांतिपूर्वक दखलकार चले आ रहे है। इनके द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में B.T. Act की धारा 48E के अंतर्गत दो बॅटाईदारी वाद 7/2022–23 एवं 10/2022–23 दायर किया गया है, जो विचारार्थ लंबित है। अंचलाधिकारी, हसनगंज (कटिहार) ने पत्रांक– 1262, दिनांक– 16.11.2022 द्वारा निम्न न्यायालय में समर्पित जॉच प्रतिवेदन में यह स्पश्ट उल्लेख किया है कि मसो0 झूमरी देवी, पति– किशून लाल उरॉव का प्रश्नगत भूमि के 0.91 डी0 पर दखल कब्जा है। अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार के समक्ष वाद सं0– 173M/2022 दायर किया गया जिसकी अवधि समाप्त हो जाने पर कार्रवाई समाप्त कर दी गई। अपीलार्थी के पक्ष में तथाकथित निर्गत भू–दान पर्चा पूर्णतः जाली एवं अवैध है एवं बिना किसी नामांतरण वाद के भू–लगान भुगतान किया जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा नामांतरण वाद का कोई साक्ष्य किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नही किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर किया जा रहा दावा पूर्णतः अवैध है। निम्न न्यायालय में समान भूमि पर बॅटाईदारी वाद लंबित रहने के दौरान इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में संलग्न सु–संगत सभो कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत यह स्पश्ट है कि प्रश्नगत भूमि से संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता– सह– सक्षम प्राधिकार, कटिहार के समक्ष B.T.Act की धारा 48E के अंतर्गत दो बॅटाईदारी वाद यथा– 7/2022–23 एवं 10/2022–23 विचाराधीन लंबित है। निम्न न्यायालय ने पाया है कि एक ही भूमि पर भूदान प्रमाण–पत्र के आधार पर दावा तथा बॅटाईदारी का दावा करना दावे–प्रतिदावे को विरोधाभाशी बना देता है। विवादित भूमि से संबंधित बॅटाईदारी वाद का पहले निश्पादन होना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त के आलोक म निम्न न्यायालय आदेश को विधि सम्मत एवं न्यायोचित पाते हुए सम्पुश्ट किया जाता है। अपील आवेदन अस्वीकृत। अपीलार्थी अपने दावे/पक्ष को उपरोक्त बॅटाईदारी वादों में रखने के लिए स्वतंत्र है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं सशोधित आयुक्त, आयुक्त,	

Web copy. Not Official.

Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

Land Dispute Appeal No.- 228/2023

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
		पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web copy. Not Official.